

मध्यप्रदेश विधान सभा



फरवरी-मार्च, 2021 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 16 मार्च, 2021 की अनुपूरक कार्य सूची

कार्य सूची के पद 6. 'शासकीय विधि विषयक कार्य' के उपपद (2) के पश्चात् निम्नानुसार उपपदों को जोड़कर पढ़ा जाए :-

निर्धारित
समय

30 मि.

(3) श्री जगदीश देवड़ा, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश वेत (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 4 सन् 2021) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

15 मि.

(4) श्री जगदीश देवड़ा, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 5 सन् 2021) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

15 मि.

(5) श्री जगदीश देवड़ा, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 6 सन् 2021) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घण्टा

(6) श्री जगदीश देवड़ा, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश कराधान अधिनियमों की पुरानी बकाया राशि का समाधान विधेयक, 2021 (क्रमांक 7 सन् 2021) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि.

(7) श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 2 सन् 2021) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घण्टा

(8) डॉ. अरविन्द सिंह भदौरिया, लोक सेवा प्रबंधन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 12 सन् 2021) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घण्टा

(9) श्री तुलसीराम सिलावट, जल संसाधन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 13 सन् 2021) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि.

(10) श्री रामखेलावन पटेल, राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 15 सन् 2021) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि.

(11) डॉ. नरोत्तम मिश्र, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 20 सन् 2021) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(12) डॉ. अरविन्द सिंह भदौरिया, सहकारिता मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 21 सन् 2021) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

भोपाल :
दिनांक : 16 मार्च, 2021.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.